



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक एफ 2(44)परावि / प्रशा.1 / आर.आर.डी.एस—2012 / संख्या / 2015 / 2962 जयपुर दिनांक:— 7.12.2017

—आदेश:—

श्री भगवानाराम, परिवीक्षाधीन अधिकारी, राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति तिंवरी जिला जोधपुर का चयन राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा—2013 के अन्तर्गत परिवहन विभाग के आदेश कमांक एफ 1 (39) परि/स्था/ 2000/43044-56 दिनांक 8.9.2017 द्वारा कम संख्या 21 के अनुसार राजस्थान परिवहन सेवा में जिला परिवहन अधिकारी के पद पर किया गया है। श्री भगवानाराम द्वारा दिनांक 22.11.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा से परिवहन सेवा के लिये कार्यमुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विभागीय नियुक्ति आदेश कमांक 2433 दिनांक 18.11.2015 के बिन्दु संख्या 09 के अनुसार श्री भगवानाराम के प्रशिक्षण अवधि के दौरान हुई व्यय राशि की दुगनी राशि जमा नहीं कराने की छूट श्री भगवानाराम को उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर दी जाती है कि राज्य सेवा में परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण होने से पूर्व सेवा को छोड़कर जायेगें तो प्रशिक्षण के दौरान प्रदत्त की गयी समस्त परिलक्षियों की दोगुनी राशि (जो भी नियमानुसार देय होगी) राजस्थान सरकार को जमा करानी होगी।

अतः श्री भगवानाराम को उक्त शर्त के साथ राजस्थान परिवहन सेवा में चयन उपरान्त परिवहन विभाग में कार्यग्रहण हेतु राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

४०
(इकबाल खान)
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रभुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आदेश कमांक एफ 1 (39) परि/स्था/2000/ 43044-56 दिनांक 8.9.17 के कम में सूचनार्थ।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग को उनके उनके आदेश कमांक प.1 (54)वित्त/राजस्व/11 दिनांक 24.11.2015 के कम में सूचनार्थ।
9. संभागीय आयुक्त जोधपुर।
10. जिला कलेक्टर जोधपुर।
11. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति तिंवरी जिला जोधपुर।
13. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
14. ए.सी.पी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
15. आदेश पत्रावली।

४०
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)